



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 26.01.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 06/2024 धारा 380/457 भादवि व मु0अ0सं0 09/24 धारा 380/457 भादवि का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से ट्यूबवैल से चोरी किये हुए कैबिल के 10 टुकडे तथा एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 10.01.24 को थाना चांदीनगर पर वादी राजीव पुत्र जयवीर निवासी ग्राम कहरका थाना चांदीनगर ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी व अन्य व्यक्तियों के ट्यूबवैल से केबिल के तार चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 06/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



2-दिनांक 12.01.2024 को थाना चांदीनगर पर वादी अंकुर पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी व अन्य पडोसी के ट्यूबवैल से मोटर का तार व कटआउट चोरी कर लिये है । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 09/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट – उपरोक्त दोनों अभियोगों में विवेचना के दौरान धारा 379 भादवि का विलोपन कर धारा 380/457 भादवि की वृद्धि की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 06/24 धारा 380/457 भादवि व मु०अ०सं० 09/24 धारा 380/457 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से ट्यूबवैल से चोरी किये हुये केबिल के 10 टुकड़े तथा एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-अकरम पुत्र इवने निवासी नेकपुर साबितनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
- 2-नईम पुत्र वकिल निवासी नेकपुर साबितनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

गिरफ्तार अभियुक्त नईम का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०सं० 237/22 धारा 336/380/457/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2.मु०अ०सं० 006/24 धारा 380/411/457 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 3.मु०अ०सं० 007/24 धारा 380/457 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4.मु०अ०सं० 44/22 धारा 399/402 भादवि थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
- 5.मु०अ०सं० 46/22 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
- 6.मु०अ०सं० 824/2021 धारा 380/411 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी का सामान जिसमें 05 टुकड़े कांपर केबिल (03 फेस) लम्बाई करीब 07 फीट।
- 02 टुकड़े केबिल लम्बाई करीब 03 फीट।
- 02 टुकड़े काली केबिल कांपर लम्बाई करीब 05 फीट।
- 01 टुकड़ा सिल्वर केबिल लम्बाई करीब 05 फीट।
- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री युद्धवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 2-है०का० 289 सतेन्द्र सिंह, थाना चांदीनगर जनपद बागपत
- 3-है०का० 281 राकेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
- 4-का० 193 अंकुर भाटी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 26.01.24

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 11/24 धारा
498ए/323/506/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.01.24 को थाना बालैनी पर वादी बाल सिंह पुत्र फतेह सिंह निवाली ग्राम गेझा थाना परतापुर जनपद मेरठ ने सूचना दी की वादी की पुत्री के साथ उसके ससुरालीजन अंकित पुत्र रामभूल (पति) व 02 महिला निवासीगण ग्राम



औंगटी थाना बालैनी जनपद बागपत द्वारा दहेज के लिए प्रताडित कर मारपीट की गई, दहेज में 30 हजार रुपये की माँग की, माँग पूरी न होने पर वादी की पुत्री को फाँसी का फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी तथा वादी के लडके को भी जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 11/24 धारा 498ए/323/506/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 11/24 धारा 498ए/323/506/304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र रामभूल निवासी ग्राम आँगटी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व०उ०नि० श्री सागर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।

3-है०का० 440 राशिद थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनाँक 26.01.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

राजेन्द्र पुत्र खजान सिंह निवासी ग्राम फिरोजपुर थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-व०उ०नि० श्री धनवीर सिंह थाना खेकडा ।

2-है०का० 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा ।